फर्द अहकाम
न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर
वाबूलाल बनाम ओमप्रकाश वगै०

केस संख्या : दावा 104 / 2025

केस संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	
	28 08/25	पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी अ.ता. पेशी पर साक्ष्य पेश करें। वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 04 09/25 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर
	4 9/25	पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी उप। वादी आ.ता. पेशी पर साक्ष्य पेश करें। पत्रावली दिनांक 11/9/25 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर
	11 9/2025 बाबूलाल	पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी उप। वादी स्वयं साक्षात बतौर साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया तथा वादी का मुख्य परीक्षण किया गया। वादी और साक्ष्य पेश करना नहीं चाहते है अतः साक्ष्य वादी बंद की जाती है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 18 09/2025 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर
	18 9/25	पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी उप.। बहस सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 24/9/25 को पेश हो। [signature]
	24 09/2025	पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी उपस्थित। वाद वादी डिक्री किया जाता है विस्तृत निर्णय एवं डिक्री पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:59:01 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :— सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या – 104/2025 वाद प्रस्तुति दिनांक –08.07.2025

बाबूलाल पुत्र स्व. श्री झूथा, आयु २७ वर्ष, जाति जाट, निवासी बैनाड दौलतपुरा, नांगल सिरस, खोराबिसल, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर।

.....वादी

बनाम

1. ओम प्रकाश, श्री गोविंदराम के पुत्र
2. कैलाश पुत्र श्री गोविंदराम
3. ग्यारसी देवी पत्नी श्री गोविंदराम
4. रामजीलाल पुत्र श्री ईशरा
5. श्रवण कुमार पुत्र श्री गोविंदराम
   समस्त निवासीयान बैनाड दौलतपुरा, नांगल सिरस, खोराबिसल, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर।
6. राज्य सरकार, जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर।

......प्रतिवादीगण

वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा– 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांक 24.09.2025

निर्णय

हस्तगत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी भूमि नया खाता संख्या 152 पुराना खाता संख्या 139 के खसरा नंबर 475 रकबा 1.0600 हैक्टेयर, खसरा नंबर 476 रकबा 0.3100 हैक्टेयर, खसरा नंबर 477 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नंबर 478 रकबा 2.5500 हैक्टेयर, खसरा नंबर 479 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, वाके ग्राम बैनाडमयदौलतपुरा, पटवार हल्का नांगल सिरस, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खोराबीसल, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर (राजस्थान) में स्थित है, जो वादी व उसके सह खातेदारों की संयुक्त कब्जे काश्त की शामलाती आराजी भूमि है। प्रतिवादीगण की आराजी भूमि खसरा नंबर 475/783 रकबा 0.3500 हैक्टेयर, वाके ग्राम बैनाडमयदौलतपुरा, पटवार हल्का नांगल सिरस, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खोराबीसल, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर (राजस्थान) स्थित है, के लगता ही वादी के हिस्से की आराजी भूमि खसरा नं. 475 रकबा 1.0600 हैक्टेयर स्थित है। प्रतिवादीगण ने अपनी आराजी भूमि का बिना कोई सीमाज्ञान करवाये ही वादी के कब्जे काश्त वं खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 475 रकबा 1.0600 हैक्टेयर पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर, अपनी भूमि में मिलाना चाहते है तथा वादी के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। वादी को उक्त आशय की पूर्णतः जानकारी होने के उपरान्त दिनांक 31.06.2025 को वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:59:01 IST
Reason: SelfAttested

ने प्रतिवादीगण से सम्पर्क कर इस संबंध में औलमा दिया तो प्रतिवादीगण, वादी पर आग बबुला हो गये तथा वादी को धमकाया कि अभी तो अनाधिकृत रूप से कब्जा करने का प्रयास ही किया है, धीरे धीरे वादी के कब्जे काश्त की भूमि खसरा नंबर 475 पर पूर्णरूपेण कब्जा करके ही रहेगे, वादी को जो करना है, वह कर लेवे। इसलिए वादी, प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का मुश्तहक व अधिकारी है कि प्रतिवादीगण अपनी संयुक्त कब्जे काश्त की आराजी भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। वादी को वाद मूल सर्वप्रथम तब उत्पन्न हुआ जब दिनांक 31.06.2025 को प्रतिवादीगण ने वादी के कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 475 की भूमि में अनाधिकृत रूप से कब्जा करने के संबंध में औलमा देने पर प्रतिवादीगण ने वादी के साथ लडाई झगडा करते हुये खसरा नंबर 475 की संपूर्ण आराजी भूमि पर कब्जा की ऐलानियां धमकी देने से उत्पन्न होकर लगातार हरक्षण जारी है। प्रतिवादी संख्या 6 तहसीलदार, तहसील आमेर, जिला जयपुर जो कि राजस्थान सरकार का प्रतिनिधि अधिकारी है तथा इनके विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का त्वरित अनुतोष चाहा गया है यदि दो माह का कानूनी नोटिस दावा दायरी से पूर्व दिया जाता है तो वाद का उद्देश्य ही विफल हो जावेगा। इसलिए प्रकरण में धारा 80 सी. पी. सी. के नोटिस से छूट चाहने हेतु पृथक से प्रार्थना पत्र सविनय प्रस्तुत है। वाद पत्र के नेचर, चाहे गये अनुतोष, मालियत दावा तथा वादग्रस्त आराजीयात के स्थित होने के आधार पर माननीय न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार है।

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 को अनेक अवसर देने के उपरांत भी बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 18.08.2025 को अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 एकपक्षीय कार्यवाही होने के कारण तनकीयात कायम नहीं की गई। तदुपरान्त साक्ष्य वादी हेतु वादी पक्ष द्वारा निम्न लिखित साक्ष्य को प्रस्तुत कर परीक्षित करवाये।

1. PW1 बाबूलाल पुत्र स्व. श्री झूंथा, जाति जाट, निवासी बैनाड दौलतपुरा, नांगल सिरस, खोराबीसल, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर।

दस्तावेज साक्ष्य में वादी ने जमाबंदी खाता संख्या 152 प्रदर्श—1, राजस्व नक्शा प्रदर्श—2, जमाबंदी संवत 2074—77 खाता संख्या 41 प्रदर्श—3, नक्शा खसरा 475/783 प्रदर्श 4 से प्रदर्शित किया गया।

हमने विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। तथा प्रस्तुत साक्ष्यों का अध्ययन किया। हमने विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत साक्ष्यों का अध्ययन किया। वादीगण को वाद पत्र का स्वीकृत है वादीगण की भूमि प्रतिवादी की भूमि से लगवा है। दोनो पक्षो के महज सीमा विवाद है विवादित आराजीयात आराजी भूमि नया खाता संख्या 152 पुराना खाता संख्या 139 के खसरा नंबर 475 रकबा 1.0600 हैक्टेयर, खसरा नंबर 476 रकबा 0.3100 हैक्टेयर, खसरा नंबर 477 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नंबर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:59:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

478 रकबा 2.5500 हैक्टेयर, खसरा नंबर 479 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, वाके ग्राम बैनाडमयदौलतपुरा, पटवार हल्का नांगल सिरस, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खोराबीसल, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर (राजस्थान) स्थित हैं, वादीगण रिकार्डेड खातेदार एवं काश्तकार है, यह जमाबंदी प्रदर्श–1, नक्शा प्रदर्श 2 से सिद्ध है। कानूनी रूप से जमाबंदी में दर्ज रिकार्ड से कब्जे की अवधारणा मानी जाती है। जब तक कि इस रिकार्ड को प्रतिकूल साबित नही किया गया हो। प्रदर्श 1 जमाबंदी (संवत 2073–2076) से स्पष्ट पर कब्जा है। अतः वाद वादीगण डिक्री किये योग्य हैं।

आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद डिक्री किया जा कर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 को इस स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वाद वादी की खातेदारी भूमि राजस्व नया खाता संख्या 152 पुराना खाता संख्या 139 के खसरा नंबर 475 रकबा 1.0600 हैक्टेयर, खसरा नंबर 476 रकबा 0.3100 हैक्टेयर, खसरा नंबर 477 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नंबर 478 रकबा 2.5500 हैक्टेयर, खसरा नंबर 479 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, वाके ग्राम बैनाडमयदौलतपुरा, पटवार हल्का नांगल सिरस, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खोराबीसल, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर (राजस्थान), की सीमा तक किसी प्रकार की दखल अंदाजी न करे, ना ही उसकी सीमा में प्रवेश करे। तथा वादी सीमा निश्चियकरण हेतू सक्षम न्यायालय में आवेदन करे। तहसीलदार रामपुरा रामपुरा डाबडी जयपुर को पालना हेतू तहरीर जारी हो। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली नियमानुसार फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
आमेर मु0 जयपुर

निर्णय आज दिनांक 24.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया

सहायक कलेक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:59:01 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई
(ऑ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर आमेर, मु0 जयपुर
पीठासीन अधिकारी सुमन चौधरी (आर.ए.एस)

बाबूलाल पुत्र स्व. श्री झूथा, आयु २७ वर्ष, जाति जाट, निवासी बैनाड दौलतपुरा, नांगल सिरस, खोराबिसल, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर।

.....वादी

बनाम

1. ओम प्रकाश, श्री गोविंदराम के पुत्र
2. कैलाश पुत्र श्री गोविंदराम
3. ग्यारसी देवी पत्नी श्री गोविंदराम
4. रामजीलाल पुत्र श्री ईशरा
5. श्रवण कुमार पुत्र श्री गोविंदराम
समस्त निवासीयान बैनाड दौलतपुरा, नांगल सिरस, खोराबिसल, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर।
6. राज्य सरकार, जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर।

......प्रतिवादीगण

वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा– 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 17.09.2025

वादी का वाद डिक्री किया जा कर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 को इस स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वाद वादी की खातेदारी भूमि राजस्व नया खाता संख्या 152 पुराना खाता संख्या 139 के खसरा नंबर 475 रकबा 1.0600 हैक्टेयर, खसरा नंबर 476 रकबा 0.3100 हैक्टेयर, खसरा नंबर 477 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नंबर 478 रकबा 2.5500 हैक्टेयर, खसरा नंबर 479 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, वाके ग्राम बैनाडमयदौलतपुरा, पटवार हल्का नांगल सिरस, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खोराबीसल, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर (राजस्थान), की सीमा तक किसी प्रकार की दखल अंदाजी न करे, ना ही उसकी सीमा में प्रवेश करे। तथा वादी सीमा निश्चियकरण हेतू सक्षम न्यायालय में आवेदन करे। तहसीलदार रामपुरा रामपुरा डाबडी जयपुर को पालना हेतू तहरीर जारी हो।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 24.09.2025 को जारी किया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:59:01 IST
Reason: SelfAttested

दस्तखत ——
ओहदा ——

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

प्रकरण संख्या – 104 / 2025
बउनवानी – बाबूलाल बनाम ओमप्रकाश वगै0
निर्णय दिनांक :– 24.09.2025

मुददई	रूपये	पैसे	मुददायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा			बबत् इजराय हुक्मानामा		
मुतफरित	4 रूपये		मुतफरित	4 रूपये	
मीजान			मीजान		

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

सहायक क... मु. जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:59:01 IST
Reason: SelfAttested